

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी, वीरेन्द्र सिंह चौधरी, आर.ए.एस.

अपील संख्या 88/22
(जीसीएमएस संख्या 2022/176)

निर्णय दिनांक:- 28-02-2024

1. गोपाल जोशी पुत्र हेमाराम जोशी जाति ब्राह्मण निवासी करणीनगर जिला बीकानेर।

-अपीलांट-

-बनाम-

स्टेट ऑफ राजस्थान, जरिये तहसीलदार, पूगल।

-रेस्पोडेन्ट-



अपील विरुद्ध आज्ञा दिनांक 25-11-2005
सहायक आयुक्त उपनिवेशन छत्तरगढ़ मु. बीकानेर

उपस्थिति:-

1. श्री विजय भादाणी, अभिभाषक अपीलांट
2. श्री मिलाप चन्द धतरवाल, राजकीय अभिभाषक

-निर्णय-

1. अपीलांट ने यह अपील सहायक आयुक्त उपनिवेशन, छत्तरगढ़ मु. बीकानेर के आदेश दिनांक 25-11-2005 जिसके द्वारा अपीलांट का विशेष आवंटन प्रार्थना पत्र बिना सुने एकतरफा तौर पर खारिज किया गया है, के विरुद्ध इस न्यायालय में राजस्थान उपनिवेशन (इगानप योजना में सरकारी कृषि भूमि आवंटन व विक्रय नियम) 1975 के नियम 23 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है।
2. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

3. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि अपीलांट द्वारा तहसील पूगल में चक 1 डीडी के मुर्ब्बा नम्बर 192/13 के किला नम्बर 1 ता 25 में तादादी 24 बीघा 10 बिस्वा बीघा भूमि बतौर विशेष आवंटन के लिए प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। उक्त आवेदन पत्र के साथ अपीलांट द्वारा तमाम सबूत भी प्रस्तुत किये गये थे। अदालत मातहत द्वारा तत्पश्चात् अपीलांट को बिना सूचना दिये प्रार्थना पत्र इस आधार पर खारिज किया गया है कि प्रार्थी द्वारा 20 प्रतिशत राशि जमा नहीं करवाये जाने कारण आवंटन की कार्यवाही नहीं की जा सकती है। अतः प्रार्थी का आवेदन पत्र खारिज किया जाता है।



इस संबंध में अपीलांट को कोई नोटिस जारी नहीं किया गया है। यदि जारी किया भी गया है तो अधिनस्थ न्यायालय द्वारा नोटिस की तामील विधिवत नहीं कराई गई है। अपीलांट ने जब अपना प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था तब न तो कोई तारीख पेशी बताई गई थी तथा ना ही यह कथन किया गया था कि आवेदित रकबा आज दिनांक को भी शुद्ध रूप से आराजीराज दर्ज रिकार्ड है। अपीलांट आज दिनांक को भी वादगत भूमि के आवंटन हेतु राशि मय ब्याज भुगतान करने को तैयार है। चूंकि अदालत मातहत द्वारा अपीलांट को सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना ही अपीलांट का प्रार्थना पत्र खारिज किया गया है। जो किसी भी तरह से विधि सम्मत नहीं है। अपीलाधीन आदेश एकतरफा तौर पर मनमाने ढंग से पारित किया गया है। जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत होने से खारिज योग्य है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त फरमाया जावे। विद्वान अभिभाषक अपीलांट द्वारा अपने कथन के समर्थन में आरआरडी 2017 पेज 209 का न्यायिक दृष्टांत पेश किया।

उन्होंने मियांद पर बताया कि अपीलाधीन आदेश एकतरफा क्षेत्राधिकार से बाहर है। जिसमें मियांद अधिनियम बाधक नहीं है। अपील के साथ धारा 5 मियांद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश है। अतः अपील अन्दर मियांद घोषित की जावे।

4. विद्वान राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि अपीलांट ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 25-11-2005 के विरुद्ध अपील दिनांक

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

20-05-22 को पेश की है। जो विलम्ब से पेश की है। इसलिए अपील मियाद बाहर है। मियाद प्रार्थना पत्र में मियाद कण्डोन करने का कोई संतोषजनक कारण अंकित नहीं किया है। अपीलांट का आवंटन प्रार्थना पत्र उपस्थित नहीं आने के कारण व 20 प्रतिशत राशि जमा नहीं करवाये जाने के कारण खारिज किया जा चुका है। अब अपीलांट किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। अतः अपील खारिज फरमाई जावे।

5. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

6. (1) जहाँ तक मियाद का प्रश्न है, अपीलाधीन आदेश दिनांक 25-11-2005 को पारित किया गया है। जिसके विरुद्ध अपील 20-05-2025 को पेश की गई है। अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है। जिसके खण्डन में राज्य पक्ष द्वारा कोई काउण्टर शपथ पत्र पेश नहीं किया गया है। अतः प्रार्थी के शपथ पत्र पर विश्वास करते हुए अपील में हुए विलम्ब को दरगुजर करते हुए अपील अन्दर मियाद घोषित की जाती है।

(2) अपीलांट ने अदालत मातहत के समक्ष बतौर विशेष आवंटन के लिए प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करते हुए चक 1 डीडी के मुरब्बा नम्बर 192/13 के किला नम्बर 1 ता 25 में तादादी 24 बीघा 10 बिस्वा भूमि आवंटन की मांग की गई थी।

(3) अदालत मातहत द्वारा अपीलांट के विशेष आवंटन के प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये जाने पर अपीलांट को वादग्रस्त भूमि के आवंटन की कुल कीमत 3,24,300/- रुपये की 20 प्रतिशत राशि 64,860/- जमा करवाने हेतु दिनांक 13-10-2005 को नोटिस जारी किया गया व उक्त राशि जमा करवाने हेतु निर्देशित किया गया।

(4) प्रस्तुत मामलें में अपीलांट का मुख्य कथन है कि अदालत मातहत द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व अपीलांट को सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया गया है ना ही कोई नोटिस जारी



राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

किया गया। यदि किसी प्रकार का कोई नोटिस जारी भी किया गया है तो विधिवत रूप से उसकी तामील अपीलांट को नहीं करवाई गई है। ऐसी स्थिति में अदालत मातहत द्वारा पारित आदेश प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत है।

इस संबंध में अदालत मातहत की पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में जारी किये गये नोटिस की तामील की सुनिश्चितता के संबंध में कोई दस्तावेजी साक्ष्य संलग्न नहीं है। ऐसी स्थिति में यह साबित नहीं होता है कि अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व अपीलांट को किसी प्रकार का कोई सूचना अथवा चालान प्राप्त हुआ हो।



(5) यहाँ यह उल्लेखनीय है कि अपीलांट द्वारा चक 13 केएलडी के मुरब्बा नम्बर 75/43 के किला नम्बर 1 ता 25 तादादी 24 बीघा 10 बिस्वा भूमि बतौर विशेष आवंटन हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया था। अपीलांट को दिनांक 13-10-2005 को नोटिस जारी करते हुए वांछित सबूत मय 35 प्रतिशत राशि सहित उपस्थित आने हेतु दिनांक 28-01-2005 को उपस्थित आने हेतु निर्देशित किया गया है। इतनी अल्प अवधि में अपीलांट को नोटिस तामील होना व अपीलांट द्वारा वांछित सबूत एकत्रित किया जाना संभव प्रतीत नहीं होता है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से यह भी साबित है कि अदालत मातहत द्वारा अपीलांट को 20 प्रतिशत राशि जमा करवाने हेतु किसी प्रकार का कोई चालान भी जारी नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में यह साबित नहीं होता है कि अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व अपीलांट को किसी प्रकार का कोई विधिवत नोटिस/नोटिस तामील की सुनिश्चितता अथवा चालान आवंटन अधिकारी द्वारा जारी किया गया हो।

प्रकरण में दौराने बहस विद्वान अभिभाषक अपीलांट द्वारा आवंटन नियम 13 ए (5) (4) की तरफ न्यायालय का ध्यान आकर्षित करवाया गया। जिसमें अभिलिखित किया गया है कि:-

Provided that the applicants to whom land could not be allotted due to the above procedure, may be

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

allotted alternative un allotted land out of those lands which were previously notified and applications were invite for allotment of those lands, if there are no pending applications from other applicants for allotment such un allotted land.



उपरोक्त प्रावधानों के अनुसार स्पष्ट है कि यदि कोई पात्र व्यक्ति उपयुक्त नियमों के तहत प्राथमिकता में भूमि आवंटित नहीं करा सका है तो उसे अनावंटित भूमि आवंटित की जा सकेगी। विद्वान अभिभाषक अपीलांट द्वारा अपने उपरोक्त कथन के समर्थन में आरआरटी 2016 पार्ट II पेज 1339 का न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किया गया है जोकि प्रस्तुत प्रकरण में पूर्णतया चस्पा होता है।

7. अतः उक्त नियम व नजीर के प्रकाश में अपीलांट की अपील आंशिक स्वीकार की जाती है व अपीलाधीन आदेश दिनांक 25-11-2005 निरस्त किया जाकर प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, पूगल को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलांट की आज दिनांक की पात्रता की जाँच करते हुए, पात्रता सही पाये जाने पर अपीलांट के आवेदन पत्र पर विशेष आवंटन नियम 13ए में उल्लेखित पात्रता की शर्तों की जाँच करते हुए नये सिरे से नियमानुसार कार्यवाही की जावे।

8. निर्णय आज दिनांक 26/2/24 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(वीरेन्द्र सिंह चौधरी)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर